

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.5(17)चिस्वा/2/14/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 23-2-18

निदेशक (जन.स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर।

23 FEB 2018

विषय:- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 60, 70 दिनांक 17.01.2018 व 19.01.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयावर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा निम्नांकित चिकित्सकों का उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं :-

क.सं.	नाम चिकित्सक एवं पदनाम	वीआरएस तिथि
1.	डॉ. दीपक मांगा, प्रमुख विशेषज्ञ (निश्चेतन)	01.04.2018
2.	डॉ. घनश्याम त्रिपाठी, प्रमुख विशेषज्ञ (शिशु रोग)	31.03.2018
3.	डॉ. प्रदीप गर्ग, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन)	23.02.2018

उक्त चिकित्सकों आम जन को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने एवं प्रशासनिक कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उक्त चिकित्सकों का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अजमेर जालौर व श्रीगंगानगर, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त चिकित्सकों को पांबंद करने का श्रम करावें।
2. संबंधित चिकित्सक द्वारा निदेशक (जन.स्वा.)।
3. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

23-2-18

URGENT.
OUT TODAY.

-: 2 :-

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई-26/प्रवि/पी-360/2018/311

दिनांक : 23/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर/जालोर को भेजकर लेख है कि उक्त चिकित्सकों को पाबन्द करने का श्रम करें।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि उक्त चिकित्सक को पाबन्द करने का श्रम करें।
3. डॉ. दीपक मोगा, प्रमुख विशेषज्ञ (निश्चेतन), राजकीय जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि आप अपने पद से कार्यमुक्त नहीं होंगे।
4. डॉ. घनश्याम त्रिपाठी, प्रमुख विशेषज्ञ (शिशु रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर, जिला-जालोर को भेजकर लेख है कि आप अपने पद से कार्यमुक्त नहीं होंगे।
5. डॉ. प्रदीप गर्ग, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विजयनगर,, जिला-अजमेर को भेजकर लेख है कि आप अपने पद से कार्यमुक्त नहीं होंगे।
6. सम्बन्धित लिपिक, ए से जी सीट (राजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

उभारी लखर रम

सम्बन्धित CMTW/PMO की

ई मेल एड्रेस पर उक्त पत्र

पर आपसे जाने पर श्रम राहिए।

४

23/2/18

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।